



आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड उ0प्र0
धन्वन्तरि भवन, 7 लालबाग, लखनऊ 226001

दूरभाष

कार्यालय :-0522 4063540

वेबसाइट:-www.bimup.org

ई मेल- bim.upup@gmail.com

पत्रांक 1157/बोर्ड - सा0प्रशा0 मान्यता (18-19) /18 (21)

लखनऊ दिनांक 21-07-2018

सेवा में,

प्रबन्धक

इन्स्टीट्यूट आफ आयुर्वेद साइंस द्वारा कुँवर शेखर हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर
गंगोह जिला-सहारनपुर । .

विषय:-

आयुर्वेदिक उपचारिका /आयुर्वेदिक फार्मसिस्ट प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हेतु संस्था को
मान्यता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय

आयुर्वेदिक एवं यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड उ0प्र0 की संकाय की बैठक
दिनांक 18 एवं 19-07-2018 में की गई सिफारिस के आधार पर बोर्ड की बैठक दिनांक
21-07-2018 को प्रदान की गई स्वीकृति के आधार पर आपके प्रशिक्षण केन्द्र को संकाय/बोर्ड
के अग्रिम आदेशों तक के लिए आयुर्वेदिक उपचारिका प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की 30 सीटों
एवं आयुर्वेदिक फार्मसिस्ट प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की 50 सीटों हेतु मान्यता/सम्बद्धता निम्नलिखित
शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

- 01- बोर्ड द्वारा काउन्सिलिंग के द्वारा भेजे गये छात्रों के बाद रिक्त सीटों में प्रवेश बोर्ड द्वारा पूर्व
निर्धारित प्रारूप, अर्हता एवं शर्तों के अधीन संस्था स्वयं करेगी ।
- 02- प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा दिनांक 31 अक्टूबर 2018 तक प्रवेश लिये जा सकेंगे । दिनांक 05
नवम्बर 2018 में प्रत्येक दशा में संस्थाएँ अपनी प्रवेश सूची मय प्रपत्रों सहित बोर्ड
कार्यालय को प्रेषित की जायेगी । संकाय द्वारा प्रवेश सूची का परीक्षण करने के उपरान्त
छात्रों को इनरोलमेण्ट नं0 निर्गत किया जायेगा । तथा ऐसे ही छात्र बोर्ड की परीक्षा में
सम्मिलित हो सकेंगे । यदि कोई संस्था उपरोक्त तिथि तक प्रविष्ट छात्रों की सूची जमा
नहीं करती है तो उस संस्था का सत्र शून्य माना जायेगा । संस्था दिनांक 31 अक्टूबर
2018 तक छात्र/छात्राओं का प्रवेश लेगी ।
- 03- बोर्ड द्वारा किसी भी समय संस्था का आकस्मिक निरीक्षण कराया जा सकता है । पठन
-पाठन एवं अनुशासनिक प्रबंधों की समीक्षा की जायेगी । त्रुटि पाये जाने पर आपके
प्रशिक्षण केन्द्र की मान्यता/सम्बद्धता समाप्त करने पर विचार किया जा सकता है ।
- 04- आपके प्रशिक्षण केन्द्र को बोर्ड द्वारा प्रशिक्षण के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये
समस्त आदेशों/निर्देशों का पालन करना होगा ।

--2

- 05- बोर्ड द्वारा आयुर्वेदिक फार्मेसिस्ट प्रशिक्षण पाठयक्रम का शिक्षण शुल्क रू0 42,240-00 एवं उपचारिका का शिक्षण शुल्क रू0 36,000-00 प्रतिवर्ष निर्धारित है उक्त निर्धारित फीस की धनराशि संस्था छात्र/छात्राओं से लेगी । छात्रावास मे रहने पर ही छात्रावास शुल्क लिया जा सकेगा ।
- 06- सत्र 2018-19 की सम्बद्धता शुल्क रू0 25,000-00 (प्रति पाठयक्रम)का बैंक ड्राफ्ट इस कार्यालय में दिनांक 05-11-2018 तक प्रविष्ट छात्रों की सूची के साथ जमा करना अनिवार्य है ।
- 07- यह मान्यता आप द्वारा पैनल सदस्यों को दर्शाये गये संसाधनों तथा उपलब्ध कराये गये प्रपत्रों एवं उक्त आधार पर पैनल सदस्यों द्वारा की गई संस्तुति पर दी जा रही है । यदि बोर्ड को किसी भी समय यह ज्ञात होता है कि आप द्वारा कोई तथ्य छुपाये गये है अथवा मान्यता हेतु छद्म प्रपत्रों, संसाधनों का सहारा लिया गया है, तो नियमानुसार मान्यता समाप्त करते हुए आपके विरुद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

भवदीय,

(डा0 अखिलेश कुमार वर्मा)
रजिस्ट्रार 